

छत्तीसगढ़ शासन
श्रम विभाग
महानदी भवन, मंत्रालय, नया रायपुर

// अधिसूचना //

नया रायपुर, दिनांक २०/०२/१४

क्रमांक एफ 10-4/2014/16:- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्त विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 39 के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये, एतद् द्वारा भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) नियम, 2008 के नियम 210 (1)(ख)(i) में निम्नानुसार अंतः स्थापित करता है:-

(i) "उस क्षेत्र की अधिकारिता वाला सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी या उपसंचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा जिसमें ऐसी स्थापना अवस्थित है जिसमें ऐसी दुर्घटना या खतरनाक घटना घटित हुई। ऐसा सहायक श्रमायुक्त/श्रम पदाधिकारी या उप संचालक/सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा-शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 39 के अधीन नियुक्त प्राधिकारी होगा।"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से,
तथा आदेशानुसार

(जी०आर०मालवीय)

उप सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग

नया रायपुर, दिनांक २०/०२/२०१४

पृष्ठांकन क्रमांक एफ 10-4/2014/16:-

प्रतिलिपि:-

1. विशेष सहायक माननीय मंत्रीजी, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर, (छ०ग०),
2. निज सहायक, अपर मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (छ.ग.)
3. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर, (छ०ग०)
4. श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, रायपुर (छ०ग०),
5. अध्यक्ष, छ.ग. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर, (छ०ग०),
6. अध्यक्ष, छ.ग. श्रम कल्याण मंडल, रायपुर (छ०ग०),
7. सचिव, छ.ग. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल, रायपुर (छ०ग०),
8. समस्त कलेक्टर, जिला (छ०ग०),
9. उप श्रमायुक्त, उपश्रमायुक्त कार्यालय, रायपुर (छ०ग०),

निरंतर.../२/

१२